अध्याय I : परिचय

1.1 प्रतिवेदन के संबंध में

प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय तथा इसके निम्नलिखित सगंठनों के वित्तीय लेन देन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है।

- भारतीय नौसेना (आईएन)
- भारतीय तटरक्षक (आईसीजी)
- रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (आर एण्ड डी) और मुख्यतः भारतीय नौसेना को समर्पित इसकी प्रयोगशालायें।
- मज़गांव डॉक लिमिटेड, (एमडीएल) मुम्बई
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, (जीआरएसई) कोलकाता
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, (जीएसएल) गोवा
- हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, (एचएसएल) विशाखापत्तनम
- भारतीय नौसेना से संबंधित रक्षा लेखा विभाग
- भारतीय नौसेना से संबंधित सैन्य अभियंता सेवाएं (एमईएस)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा नौसेना, [पीडीए (एन)][1] नई दिल्ली का कार्यालय, मुम्बई, विशाखापत्तनम तथा कोच्चि के अपने तीन शाखा कार्यालयों के साथ भारतीय नौसेना, तटरक्षक तथा अन्य संबंधित संगठनों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है। एमडीएल, जीआरएसई, जीएसएल तथा एचएसएल की लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड IV, बेंगलूरू द्वारा की जाती है।

मोटे तौर पर तीन भिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा हैं: वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा।

[1] पहले मुम्बई में

वित्तीय लेखापरीक्षा में एक स्वतंत्र सत्ता के वित्तीय विवरणों की समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय विवरणों में कोई गलत आँकड़ा नहीं दिया गया और यह स्पष्ट और सही विवरण दे रहे हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा में लेखा परीक्षण की जा रही स्वतंत्र सत्ता के व्यय, प्राप्ति, संपत्ति और दायित्व के लेन-देन की जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू होने योग्य कानून, नियम, विनियम और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेश व निर्देशों का पालन किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र सत्ता के कार्यक्रम, प्रकार्य, प्रचालन एवं प्रबंधकीय प्रणाली की एक गहन परीक्षा है जो यह निर्धारित करती है कि क्या स्वतंत्र सत्ता उपलब्ध संसाधनों के नियोजन में मितव्ययिता, कुशलता एवं प्रभावशीलता प्राप्त कर रही है।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों और सेवाओं की स्थिति) अधिनियम 1971, लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनिमय 2007, लेखापरीक्षा की विस्तृत कार्यप्रणाली और उसके प्रतिवेदन के लिए प्राधिकार देते हैं।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना व आचरण

लेखापरीक्षा को जोखिमों के विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है ताकि प्रमुख प्रचालन इकाईयों में उनके महत्व का आकलन किया जा सके। किया गया व्यय, प्रचालनात्मक महत्व, पिछली लेखापरीक्षा के परिणाम तथा आन्तरिक नियंत्रण की शक्ति उन मुख्य कारकों में से है जो जोखिमों की तीव्रता को निर्धारित करते हैं।

एक सत्व/ इकाई के लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/मामलों के विवरणों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा की गई इकाई से प्राप्त उत्तर पर विचार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप या तो लेखापरीक्षा आपत्ति का निपटान कर दिया जाता है या आगामी लेखापरीक्षा चक्र में अनुपालन हेतु संदर्भित किया जाता है। अतिगम्भीर अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रोसेस की जाती हैं जो कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151, के

अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षाएं, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की व्याख्या, एंट्री कॉन्फ्रेंस के आयोजन, इकाईयों के नमूनों, एग्जिट कॉन्फ्रेंस, ड्राफ्ट रिपोर्ट पर फीडबैक को शामिल करने तथा अन्तिम रिपोर्ट जारी करने के माध्यम से की जाती है।

1.4 लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की रुपरेखा

भारतीय नौसेना का प्रधान नौसेनाध्यक्ष होता है। नौसेना मुख्यालय (एनएचक्यू), भारतीय नौसेना का शीर्ष अंग तथा मुख्य प्रबन्धकीय संगठन है और नौसेना के कमान, नियंत्रण तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। भारतीय नौसेना की प्रचालनात्मक तथा अनुरक्षण इकाईयों में युद्धपोत तथा पनडुब्बियां, गोदीबाड़े, नौसेना जहाज़ मरम्मत बाड़े, अस्त्र-शस्त्र उपकरण डिपो तथा सामग्री संगठन शामिल हैं। भारतीय नौसेना का एक विमान विंग है जिसके अधीन वायुसेना स्टेशन तथा संबद्ध मरम्मत सुविधाएं आती हैं। भारतीय नौसेना के निरीक्षण दल भी हैं जो संबंधित पोतनिर्माण बाड़ों पर जहाज़ों तथा पनडुब्बियों के निर्माण को मॉनीटर करते हैं।

भारतीय तटरक्षक का सृजन देश के व्यापक समुद्रतटों तथा समुद्रतटीय सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु किया गया था। महानिदेशक तटरक्षक, तटरक्षकों का सामान्य निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण सम्पादित करता है। तटरक्षक के पास तस्करी, भारतीय समुद्री क्षेत्रों में अतिक्रमण आदि जैसे अवैध क्रियाकलापों के लिए समुद्र तट पर गश्ती के लिए विभिन्न प्रकार के गश्ती पोत हैं। तटरक्षक के पास तटवर्ती क्षेत्रों की गश्ती तथा स्थायी तथा रोटरी विंग के साथ समुद्र पर तलाशी तथा बचाव मिशन कार्यान्वित करने के लिए एक विमान विंग भी है। विमान विंग के पास सभी तटवर्ती क्षेत्रों में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए तटरक्षक हवाई स्टेशन तथा हवाई एनक्लेव हैं।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम: रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चार रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र पोतनिर्माण बाड़े (डीपीएसएस) हैं, अर्थात मज़गांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)। चारों पोतनिर्माण बाड़े, देश की समुद्री सेनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के युद्धपोत तथा पोत बनाने में कार्यरत हैं। पोतनिर्माण बाड़ों का प्रबंधन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल में निहित है जिसकी सहायता कार्यात्मक निदेशकों द्वारा की जाती है। पोतनिर्माण बाड़ों की उत्पादन लाईन में तटवर्ती गश्ती पोत, तीव्र गश्ती पोत तथा तट से दूर गश्ती पोत के अतिरिक्त फ्रिगेट्स एवं पनडुब्बी विरोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू) कॉर्वेट (जीआरएसई), यात्री एवं नौभार पोत, पनडुब्बियां, टग्ज़, कॉर्वेट तथा मिसाईल बोट्स (एमडीएल), पोन्टून्स (जीएसएल) तथा टग्ज़,

ड्रेजर एवं यात्री नाव/पोत (एचएसएल) शामिल हैं। जबकि एमडीएल, जीआरएसई तथा जीएसएल, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं, एचएसएल का प्रशासनिक नियंत्रण फरवरी 2010 में जहाज़रानी मंत्रालय से हटा कर रक्षा मंत्रालय को दे दिया गया था।

i. मज़गांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई (एमडीएल), रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। यह नौसेना के युद्धपोत तथा ओएनजीसी के तटवर्ती ढांचे के निर्माण में कार्यरत है। 31 मार्च 2014 को एमडीएल की प्रदत्त पूंजी ₹199 करोड़ थी। एमडीएल की टर्नओवर 2012-13 में ₹2,291 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹2,866 करोड़ हो गई अर्थात् 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ii. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता (जीआरएसई) रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। यह पोत निर्माण तथा पोत मरम्मत के कार्य में लगा हुआ है। 31 मार्च 2014 को जीआरएसई की प्रदत्त पूंजी ₹124 करोड़ थी। जीआरएसई की टर्नओवर 2012-13 में ₹1,527 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹1,611 करोड़ हो गई अर्थात् 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

iii. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है। जीएसएल के प्रमुख शेयरधारक भारत सरकार (51 प्रतिशत) तथा एमडीएल (47 प्रतिशत) हैं। यह रक्षा तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न श्रेणी के पोतों की डिज़ाइनिंग और निर्माण में कार्यरत है। 31 मार्च 2014 को जीएसएल की प्रदत्त पूंजी ₹29 करोड़ थी। जीएसएल की टर्नओवर 2012-13 में ₹507 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹509 करोड़ हो गई।

iv. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम (एचएसएल), रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। यह पोत निर्माण, पोत मरम्मत तथा पनडुब्बी मरम्मत के कार्य में कार्यरत है। 31 मार्च 2014 को एचएसएल की प्रदत्त पूंजी ₹302 करोड़ थी। एचएसएल की टर्नओवर 2012-13 में ₹484 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹453 करोड़ हो गई अर्थात 7 प्रतिशत की कमी हुई।

सैन्य अभियंता सेवाएँ (एमईएस) एक विस्तृत सरकारी निर्माण एजेन्सियों में से एक है और इसका प्रधान इंजीनियर-इन-चीफ होता है। एमईएस सशस्त्र सेवाओं की संविदाएं करने, निर्माण कार्य सेवाओं को लागू करने तथा विद्यमान भवनों के रख रखाव हेतु उत्तरदायी है। यह सेना मुख्यालय के इंजीनियर-इन-चीफ शाखा के अधीन कार्य करता है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सेवाओं द्वारा निर्धारित शस्त्र प्रणालियों एवं उपस्कर के निर्माण की रुपरेखा और विकास को अभिव्यक्त जरुरतों तथा गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वित करता है। कुछ प्रयोगशालाएँ विशिष्टतया नौसेना को समर्पित हैं जैसे कि नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल), नौसेना भौतिक और समुद्र-विज्ञान प्रयोगशाला (एनपीओएल) और नौसेना

सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएमआरएल)। साथ ही ये संगठन सेवा मुख्यालय को वैज्ञानिक सलाह देते है। ये रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के आधीन कार्य करते हैं।

रक्षा लेखा विभाग का प्रधान रक्षा लेखा महानियंत्रक है, जो कि सशस्त्र सेनाओं को वित्तीय सलाह एवं रक्षा सेवाओं की प्राप्तियाँ और व्यय के लेखों की गणना तथा साथ ही साथ रक्षा पेंशन की सेवा उपलब्ध कराता है।

1.5 रक्षा बजट

रक्षा बजट विस्तृत रुप से राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध है। जबकि राजस्व व्यय में वेतन एवं भत्ते, भण्डार, परिवहन तथा कार्य सेवाएं आदि सम्मिलित हैं, पूंजीगत व्यय में नए पोतों, पनडुब्बियों, शस्त्रों, गोलाबारुद की खरीद तथा पुराने भण्डार का प्रतिस्थापन और निर्माण कार्य में आने वाला व्यय समावेशित है।

रक्षा व्यय 2012-13 में ₹1,87,469 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹2,09,789 करोड़ हो गया अर्थात उसमें 11.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2013-14 में रक्षा सेवाओं के कुल व्यय में भारतीय नौसेना का हिस्सा ₹33,831 करोड़ अर्थात 16.13 प्रतिशत था।

1.6 नौसेना का बजट एवं व्यय

भारतीय नौसेना के संबंध में 2009-10 से 2013-14 के दौरान विनियोग तथा व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 1.1 : विनियोग एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्णन	पूंजीगत		राजस्व	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2009-10	अन्तिम अनुदान	13,284.33	74.87	9,435.70	4.23
	वास्तविक व्यय	13,272.36	75.45	9,586.21	0.88
	कुल आधिक्य/बचत (+)(-)	(-)11.37	(+)0.58	(+)150.51	(-)3.35
2010-11	अन्तिम अनुदान	16,898.32	6.95	10,002.52	7.45
	वास्तविक व्यय	17,136.09	4.08	10,141.36	3.33

	कुल आधिक्य/बचत (+)(-)	(+)237.77	(-)2.87	(+)138.84	(-)4.12
2011-12	अन्तिम अनुदान	17,920.69	1.45	12,335.02	11.91
	वास्तविक व्यय	19,210.86	0.66	12,057.82	0.91
	कुल आधिक्य/बचत (+)(-)	(+)1,290.17	(-)0.79	(-)277.20	(-)11.00
2012-13	अन्तिम अनुदान	17,057.74	8.68	12,741.82	13.20
	वास्तविक व्यय	17,753.62	6.26	12,095.95	22.77
	कुल आधिक्य/बचत (+)(-)	(+)695.88	(-)2.42	(-)645.87	(+)9.57
2013-14	अन्तिम अनुदान	19,378.62	7.00	13,331.12	32.82
	वास्तविक व्यय	20,351.20	7.65	13,451.52	20.73
	कुल आधिक्य/बचत (+)(-)	(+)972.58	(+)0.65	(+)120.40	(-)12.09

स्त्रोतः रक्षा सेवाओं के वर्ष–वार विनियोग लेखे।

पांच वर्ष के लिए विनियोग लेखाओं, रक्षा सेवाओं का विश्लेषण, संगत वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, संघ – सरकार के लेखे में शामिल किया गया था।

1.6.1 नौसेना व्यय

2009-2014 के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किया गया कुल व्यय, रक्षा व्यय के 15.73 और 17.78 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2013-14 में, भारतीय नौसेना का व्यय, पिछले वर्ष की तुलना में 13.23 प्रतिशत बढ़ कर ₹29,879 करोड़ से ₹33,831 करोड़ हो गया।

भारतीय नौसेना के व्यय का विस्तृत सार निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.2 : भारतीय नौसेना का व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जोड़	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन	कुल रक्षा व्यय के प्रतिशतता के रूप में	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
2009-10	22,935	(+)31.76	15.73	9,587	13,348
2010-11	27,285	(+)18.96	17.19	10,145	17,140
2011-12	31,270	(+)14.60	17.78	12,059	19,211

2012-13	29,879	(-)4.45	15.94	12,119	17,760
2013-14	33,831	(+)13.23	16.13	13,472	20,359

स्त्रोत: रक्षा सेवाओं के वर्ष–वार विनियोग लेखे

1.6.2 पूंजीगत व्यय

भारतीय नौसेना का पूंजीगत व्यय 2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान 14.63 प्रतिशत तक बढ़ गया। निरपेक्ष संदर्भ में, पूंजीगत व्यय 2009-10 में ₹13,348 करोड़ से बढ़ कर 2013-14 में ₹20,359 करोड़ हो गया।

भारतीय नौसेना का पूंजीगत व्यय मुख्यतः नौसैनिक बेड़े तथा एयरो इंजनों की खरीद पर किया गया था। भारतीय नौसेना के लिए विगत पांच वर्षों (2009-10 से 2013-14) के लिए विभिन्न श्रेणियों के प्रति व्यय का औसत वार्षिक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3 : भारतीय नौसेना का पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नौसेना बेड़ा	नौसेना गोदीबाड़ा	विमान एवं एयरो इंजन	निर्माण कार्य	अन्य उपस्कर[2]	अन्य	जोड़
2009-10	7,460 (56%)	720 (5%)	3,603 (27%)	308 (2%)	868 (7%)	389 (3%)	**13,348**
2010-11	10,620 (62%)	720 (4%)	3,187 (19%)	637 (4%)	1,578 (9%)	398 (2%)	**17,140**
2011-12	10,320 (54%)	648 (3%)	4,336 (23%)	515 (3%)	2,583 (13%)	809 (4%)	**19,211**
2012-13	11,074 (62%)	752 (4%)	1,695 (10%)	527 (3%)	2,773 (16%)	939 (5%)	**17,760**
2013-14	8,151 (40%)	633 (3%)	7,746 (38%)	516 (3%)	2,630 (13%)	683 (3%)	**20,359**

स्त्रोतः रक्षा सेवाओं के वर्ष–वार विनियोग लेखे

वर्ष 2013-14 के दौरान, पूंजीगत व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग (78.08 प्रतिशत) विमानों तथा एयरो इंजन तथा नौसेना बेड़े की खरीद पर किया गया था। लगभग 12.92 प्रतिशत अन्य उपकरणों पर खर्च किया गया था तथा 2.54 प्रतिशत निर्माण कार्यों पर खर्च किया गया था।

[2] अन्य उपकरणों में इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स, शस्त्र उपकरण, अन्तरिक्ष तथा उपग्रह उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण आदि शामिल हैं।

1.6.3 राजस्व व्यय

2009-10 से 2013-14 के दौरान, भारतीय नौसेना का राजस्व व्यय 2009-10 में 40.52 प्रतिशत बढ़ कर ₹9,587 करोड़ से 2013-14 में ₹13,472 करोड़ हो गया। भारतीय नौसेना का राजस्व व्यय मुख्यतः वेतन तथा भत्ते एवं भण्डार पर किया गया था। पिछले पांच वर्षों के लिए राजस्व व्यय की विभिन्न श्रेणियों के प्रति व्यय का वितरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.4 : भारतीय नौसेना का राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन एवं भत्ते	भण्डार	कार्य	परिवहन	मरम्मत/ रीफिट	अन्य	जोड़
2009-10	3,971 (41%)	2,957 (31%)	645 (7%)	233 (2%)	572 (6%)	1,209 (13%)	**9,587**
2010-11	3,731 (37%)	3,437 (34%)	701 (7%)	288 (2%)	606 (6%)	1,382 (14%)	**10,145**
2011-12	4,508 (37%)	4,173 (35%)	763 (6%)	353 (3%)	768 (6%)	1,494 (12%)	**12,059**
2012-13	4,697 (39%)	3,982 (33%)	760 (6%)	380 (3%)	654 (5%)	1,646 (14%)	**12,119**
2013-14	5,085 (38%)	4,619 (34%)	1,031 (8%)	347 (3%)	593 (4%)	1,797 (13%)	**13,472**

स्त्रोत: रक्षा सेवाओं के वर्ष–वार विनियोग लेखे

1.6.4 वर्ष के दौरान भारतीय नौसेना के व्यय का प्रवाह

2013-14 के दौरान पूंजीगत तथा राजस्व[3] व्यय का प्रवाह निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

चित्र 1.1 : 2013-14 के दौरान भारतीय नौसेना के व्यय का प्रवाह

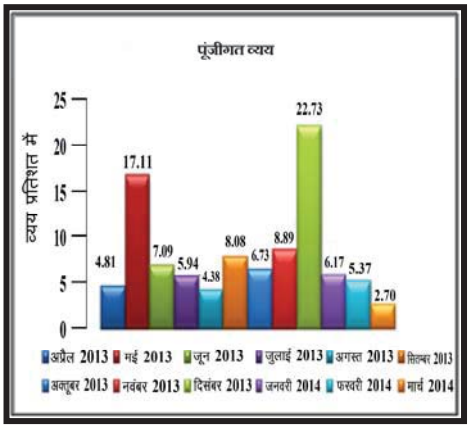

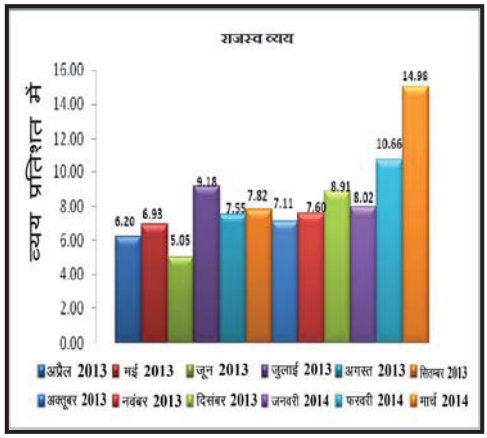

स्त्रोत: रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा सूचना

[3] कुल राजस्व व्यय में ₹ 24.99 करोड़ शामिल नहीं है जो भारतीय नौसेना की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा खर्च किया गया है तथा मासिक ब्यौरे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

व्यय के प्रवाह की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2014 में भारतीय नौसेना का राजस्व व्यय 14.98 प्रतिशत था जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत की सीमा के अन्दर था।

1.7 तटरक्षक का बजट एवं व्यय

तटरक्षक का बजट रक्षा मंत्रालय के अनुदान का भाग है। राजस्व तथा पूंजीगत के लिए प्रदत्त राशि क्रमशः मुख्य शीर्ष 2037- 'सीमा शुल्क (बचाव तथा अन्य कार्य – तटरक्षक संगठन)' तथा 4047- 'वित्तीय सेवाओं का पूंजीगत परिव्यय, सीमा शुल्क (तटरक्षक संगठन)' के अंतर्गत है। रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक व्यय के लिए पृथक प्रमुख शीर्ष नहीं खोले गए हैं।

1.7.1 तटरक्षक व्यय

तटरक्षक व्यय 2009-10 से 2013-14 तक ₹1529.15 करोड़ तथा ₹2510.06 करोड़ के बीच था। पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 में व्यय 15.70 प्रतिशत कम हो गया।

आबंटन तथा व्यय का विस्तृत सार निम्न तालिका में दिया गया हैः

तालिका 1.5 : तटरक्षक का व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान			अन्तिम अनुदान / विनियोग	व्यय		
	पूंजीगत	राजस्व	जोड़		पूंजीगत	राजस्व	जोड़
2009-10	1,300.42	604.37	1,904.79	1,525.72	908.05	621.10	1,529.15
2010-11	1,100.00	882.45	1,982.45	2,016.06	1200.78	813.57	2,014.36
2011-12	1,600.00	890.94	2,490.94	2,532.88	1,575.38	925.84	2,501.22
2012-13	1,620.00	906.63	2,526.63	2,525.41	1564.71	945.35	2,510.06
2013-14	1,775.00	1,054.81	2,829.81	2,078.15	1070.22	1047.50	2,117.72

स्त्रोत: तटरक्षक मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना

तटरक्षक का पूंजीगत व्यय, पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 में लगभग 31.60 प्रतिशत घटकर ₹1564.71 करोड़ से ₹1070.22 करोड़ हो गया। तटरक्षक का राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10.81 प्रतिशत बढ़कर ₹945.35 करोड़ से 2013-14 में ₹1047.50 करोड़ हो गया।

1.7.2 वर्ष के दौरान व्यय का प्रवाह

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2013-14 के दौरान पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के प्रवाह की जांच की, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

चित्र 1.2 : वर्ष 2013-14 के दौरान तटरक्षक के व्यय का प्रवाह

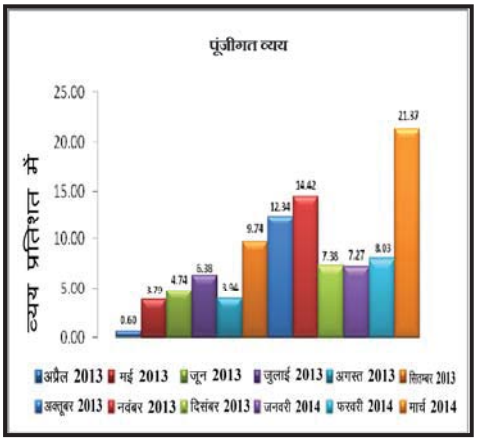

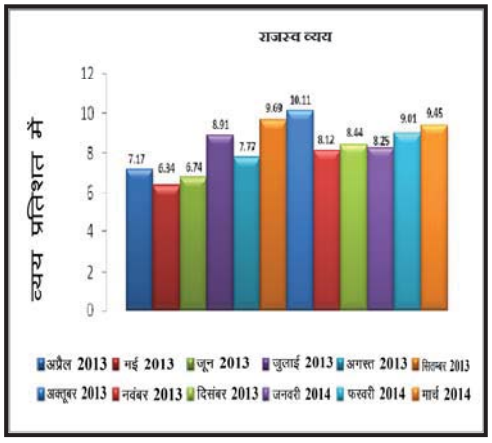

स्त्रोत: तटरक्षक मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना

व्यय की संवीक्षा से पता चला कि पूंजीगत व्यय का एक बड़ा भाग तटरक्षक द्वारा मार्च 2014 के महीने में खर्च किया गया था। तटरक्षक ने 21.37 प्रतिशत व्यय केवल मार्च 2014 के महीने में ही खर्च किया तथा 36.67 प्रतिशत पूंजीगत व्यय अन्तिम तिमाही में ही किया गया था जो मार्च के महीने में 15 प्रतिशत की सीमा तथा अन्तिम तिमाही की 33 प्रतिशत की सीमा के अन्दर नहीं था जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है। तथापि, राजस्व व्यय, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर ही था।

1.8 नौसेना तथा तटरक्षक की प्राप्तियां

2013-14 को समाप्त पिछले पांच वर्षों की अवधि में नौसेना तथा तटरक्षक से संबंधित प्राप्तियां तथा पुनः प्राप्तियों का विवरण, जो कि उन्होंने अन्य संगठनों/विभागों की सेवाओं में उपलब्ध कराए थे, नीचे तालिका में दिए गए है:

तालिका 1.6: भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक की राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नौसेना के संबंध में प्राप्ति तथा वसूली	तटरक्षक के संबंध में प्राप्ति तथा वसूली
2009-10	241.30	31.09
2010-11	165.68	13.33
2011-12	154.94	06.73
2012-13	285.07	34.41
2013-14	437.89	27.19

स्त्रोत: प्रत्येक वर्ष (नौसेना के लिए) के लिए रक्षा सेवा अनुमानों में दी गई वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़े तथा तटरक्षक मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार।

नौसेना के संबंध में प्राप्ति और वसूलियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई, जबकि तटरक्षक के संबंध में प्राप्ति और वसूलियों ने पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत गिरावट दर्शाई।

1.9 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

1.9.1 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों पर, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर अपना प्रत्युत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेज दें।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों को सचिव, रक्षा मंत्रालय को अर्ध शासकीय पत्रों द्वारा जनवरी 2015 तथा फरवरी 2015 के दौरान भेजा गया। इनमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया और मंत्रालय से निर्दिष्ट छः सप्ताह के अन्दर अपना प्रत्युत्तर भेजने का निवेदन किया गया।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद, रक्षा मंत्रालय ने प्रतिवेदन में सम्मिलित तेरह पैराग्राफों में से छः पैराग्राफों का उत्तर नहीं दिया जैसा कि अनुबंध 1 में दर्शाया गया है। अतः इन पैराग्राफों के बारे में मंत्रालय की टिप्पणी सम्मिलित नहीं की जा सकी।

1.9.2 पूर्व प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा के पैराग्राफों पर की गई कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित करने हेतु लोक लेखा समिति ने इच्छा व्यक्त की कि 31 मार्च 1996 और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित सभी पैराग्राफों पर संसद में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के चार महीने के भीतर की गई कार्यवाही टिप्पणी (एटीएन), लेखापरीक्षा द्वारा जाँच कराकर, प्रस्तुत कर दिए जाएं।

31 अगस्त 2015 को नौसेना तथा तटरक्षक से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर बकाया की गई कार्यवाही टिप्पणी की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.7 : एटीएन की स्थिति

की गई कार्यवाही टिप्पणी की स्थिति	नौसेना एवं तटरक्षक	रक्षा पोतनिर्माणियां
लेखापरीक्षा पैराग्राफ/प्रतिवेदन जिन पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणी पहली बार भी प्रस्तुत नहीं की गई हैं।	6	1
लेखापरीक्षा पैराग्राफ/प्रतिवेदन जिन पर संशोधित की गई कार्यवाही टिप्पणी प्रतीक्षित है	15	2